न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–2/गैंगेस्टर एक्ट, सिद्धार्थनगर।

UPSD010022832026

Bail Application/933/2026

सूरज सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र अनिल सिंह,
साकिन अहिरौली बघेल, थाना बनकटा, जनपद सिद्धार्थनगर।

–––प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उ०प्र०

–––विपक्षी/आपत्तिकर्ता।

मुकदमा अपराध संख्या–17/2026
धारा–2(b),(i)व 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986
थाना–उसका बाजार, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–04.08.2026

1. अभियुक्त सूरज सिंह उर्फ संदीप सिंह की ओर से मु०अ०सं०–17/2026, धारा–2(b),(i) व 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986, थाना–उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्त राजेश निषाद व सदस्य सूरज सिंह व सदीप सिंह का एक सुसंगठित गिरोह है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त सूरज सिंह उर्फ संदीप सिंह उक्त ससुंगठित गिरोह का सदस्य है ,जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। उक्त गिरोह द्वारा नकली अग्रेजी शराब की बिक्री एवं कापीराइट जैसे आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी एवं अन्य लाभ हेतु अकेले तथा सयुक्त रूप से अपराध किया जाता है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 की धारा 2(b) की उपधारा एक से आच्छादित है, जो धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थी निर्दोष एवं बेगुनाह है चिक एफ०आई०आर० से दर्शित कथन मनगढ़न्त एवं बेबुनियाद है तथा गलत तथ्यो के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–06/2025 के अलवा कोई भी मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज नहीं है प्रार्थी मु०अ०सं०–06/2025 में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर चुका है। वह दिनांक 02.05.2026 से उक्त मामले में जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी शान्तप्रिय तथा मेहनत मजदूरी कर जीकोपार्जन का कार्य करता है। अन्य कोई भी कार्य तथा किसी भी आपराधिक गिरोह का सदस्य था और न ही है। उक्त चिक एफ०आई०आर० में मात्र मु०अ०सं०–06/2025 के आधार पर उक्त मुकदमा सं०–17/2026 में फर्जी तथा गलत तरीके से मुल्जिम बना दिया गया है। जिसमें गिरोह के साथ काम करने का आरोप बनाया गया है। जो एक मिथ्या कथानक है तथा थाना मुकामी द्वारा खानापूर्ति के उद्देश्य से प्रार्थी के विरूद्ध गिरोह बन्द की धाराए आयत कर दी गयी है जिससे किसी प्रकार की कोई सचाई नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर की एकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, प्रार्थी के पास बुजुर्ग माता–पिता तथा एक अविवाहित बहन है। जिसकी देख–रेख की संपूर्ण जिम्मेदारी हम प्रार्थी की है, प्रार्थी के जेल में रहने से परिवार भूखमरी तथा माता–पिता का दवा इलाज संभव नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले में अपनी जमानत देना चाहता है, तथा मुकदमें के साक्ष्य एवं साक्षियों से छेड–छाड नहीं करेगा जमानत के शर्ते का पालन भी करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित धनराशि की जमानत मुचालिके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि मामला गम्भीर प्रकृति के अपराध का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.08.04 16:23:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की गयी है एवं इसी मामले में सह अभियुक्त राजेश निषाद का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किये जाने का कथन किया गया है।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त राजेश निषाद व सदस्य सूरज सिंह व सदीप सिंह के साथ एक गैंग है। वह स्वयं तथा गैंग के सदस्य के साथ मिलकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनिवायी लाभ के लिए नकली अंग्रेजी शराब की बिक्री, कापीराइट एवं अन्य अपराधों को कारित करके धन अर्जित करता है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त के ऊपर उक्त अभियोग के अतिरिक्त **1.** मु०अ०स०–06/2025 अन्तर्गत धारा 274,318,336 (3),338,340 (2),61(2) बीएनएस व धारा 60/72 आबकारी अधि० व 63 कापीराइट एक्ट, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर, **2.** मु० अ०सं० 1138/2016, अन्तर्गत धारा–420 भा०द०सं० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, **3.** मु०अ०सं० 37/2017 अन्तर्गत धारा 504,506 भा०द०सं० व 43/60 आईटी एक्ट, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर, **4.** मु०अ०सं०– 315/2018 अन्तर्गत धारा–419,420, 467,468 भा०दं०सं० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर **5.** मु०अ०स०–568/2020 अन्तर्गत धारा 279,337,338 भा०दं०सं०, थाना चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर, **6.** मु०अ०सं०– 1344/2020 अन्तर्गत धारा 419,420 भा०दं०सं० व 60/63/12 आबकारी अधिनियम थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचाटे का अनुमोदन किया जा चुका है जिसमें अभियुक्त को गम्भीर प्रकृति के अपराध में लिप्त होना दर्शित किया गया है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर वह किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा इस तथ्य की उपधारणा का कोई साक्ष्य व युक्ति–युक्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से न्यायालय की राय में धारा 19 (4) उ०प्र० गिरोहबन्द एव समाज विरोध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार व मामले के गुण–दोष पर विचार किये बिना न्यायालय जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थी/अभियुक्त सूरज सिंह उर्फ संदीप सिंह का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः–04.08.2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
एफ०टी०सी०–II/गैंगेस्टर एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड–यूपी 1736